न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 103/2017 **दायरा दिनांक : 01.08.2017**

उनवान

बसन्ती लाल आत्मज श्री गोपी, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्यामलाल आत्मज श्री बसन्ती लाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सुनेल, जिला झालावाड़

2– गायत्री बाई पुत्री श्री बसन्ती लाल, श्री बसन्ती लाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सुनेल, जिला झालावाड़

3– बाली बाई पत्नी श्री बसन्ती लाल, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सुनेल, जिला झालावाड़

4– रमेश आत्मज श्री गोपी, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– मुन्नी बाई पुत्री श्री गोपी, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम लसूडिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ हाल अंतालिया, तहसील गरोठ

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री रविन्द्र खण्डेलवाल एवं श्री अशोक मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री दयाराम सैन, श्री राकेश प्रजापति एवं श्री के एल रावल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.02.2021**

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 110/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 72 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 18 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 358 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल 8 बीघा 11 बिस्वा अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 तथा उनकी माता धन्नी बाई की खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज रही है । अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 तथा धन्नीबाई पूर्व खातेदार गोपी आत्मज श्री गम्भीर कुमार के पुत्र पुत्री व पत्नी हैं । यानि प्रथम श्रेणी के वारिस व उत्तराधिकारी हैं और गोपी की मृत्यु होने पर उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 तथा धन्नी बाई को विरासत में प्राप्त हुई है जो अपीलांट तथा रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 तथा धन्नीबाई की स्वार्जित सम्पत्ति है जिसमें अपीलांट के जीवनकाल में अपीलांट के पुत्र पुत्र व पत्नी का कोई भी हक हिस्सा व अधिकार निहित नहीं है परन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने बिना किसी अधिकार के अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजी के सम्बन्ध में घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, उक्त वाद में अभी साक्ष्य पूर्ण नहीं हुई थी, अधीनस्थ न्यायालय ने मनमर्जीपूर्वक उक्त वाद की पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कुण्डीखेड़ा में रखकर निर्णय व डिक्री पारित की जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पूर्णतया आर्बिट्रेटरी रूप से जारी की गई है । उक्त पत्रावली में अभी साक्ष्य पूर्ण नहीं हुई थी । उक्त पत्रावली अभी वादीगण की शेष साक्ष्य में ही नियत चली आ रही थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट ने जवाबदावा प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 362 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा पर रेस्पोडेंट नम्बर 3

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रमेश का विगत 16 वर्षों से प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है और वह वादीगण को Oust कर चुका है और वादीगण उक्त आराजी में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकते । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 व भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 27 के तहत वादीगण के कोई भी अधिकार नहीं है जिसके कारण वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ज्यूडिशियल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी में वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 का कोई भी हक हिस्सा नहीं है जब उनका कोई हक हिस्सा ही निहित नहीं है तो उनके पक्ष में किसी प्रकार के घोषणा व विभाजन की डिक्री पारित नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय के यहां अपीलांट की माता धन्नीबाई को प्रतिवादी नम्बर 4 के रूप में संयोजित किया गया था, जिनका देहावसान एक वर्ष पूर्व हो चुका है । मृतक प्रतिवादी नम्बर 4 धन्नी बाई के विधिक वारिस व उत्तराधिकारी अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 पूर्व से ही रिकार्ड पर हैं जिसको कारण प्रस्तुत अपील में मृतक धन्नी बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 अधीनस्थ न्यायालय में वादी थे । अपीलांट इनका पिता है । वादग्रस्त आराजी 29 बीघा 1 बिस्वा है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार गोपी पुत्र गम्भीर थे । गोपी की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 20.04.2006 से गोपी लाल के पुत्र बसन्तीलाल, रमेश, मुन्नी पुत्र पुत्री व

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

धन्नी पत्नी के नाम वादग्रस्त आराजी आ गई । धन्नीबाई का देहान्त होने के बाद इसका हिस्सा उनके पुत्र पुत्रियों में निहित हो जायेगा । अधीनस्थ न्यायालय में बसन्ती के पुत्र पुत्रियां रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 3 ने दावा किया । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है इसलिए हमें खातेदार घोषित किया जावे । जवाब में हमने कहा कि जमीन पुश्तैनी नहीं है गोपी जी की खातेदारी की है । हिन्दू उत्तराधिकार के नियम धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है । वादग्रस्त आराजी में बसन्तीलाल के जीवित रहते उसके पुत्र पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं मिल सकते । बसन्तीलाल के अन्य पुत्र पुत्री यशोदा व हरीश भी हैं इन्हें पार्टी नहीं बनाया गया, सहखातेदार को पार्टी बनाना जरूरी है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम कर साक्ष्य निर्धारित की थी लेकिन कोर्ट कैम्प लसूडिया में रखकर वादीगण को खातेदार घोषित कर दिया जो उचित नहीं है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा जो राजीनामा से हो अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में सिविल अपील नम्बर 5889 वर्ष 2009 दिनांक 22.11.2019 उनवानी राधा बाई बनाम रामनारायण एवं डी एन जे 2008 सी एस सी पेज 364 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 अपीलांट का पुत्र है रेस्पोडेंट नम्बर 2 पुत्री व रेस्पोडेंट नम्बर 3 पत्नी है व रेस्पोडेंट 4 व 5 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी कुल 12 किता की 29 बीघा 1 बिस्वा थी इसमें से 7 किता की 20 बीघा 5 बिस्वा परियोजना में डूब में चली गई शेष 8 बीघा 11 बिस्वा बची । मुआवज भी अपीलांट को मिला जबकि आराजी पैतृक है वादग्रस्त आराजी गोपीलाल के नाम थी इसके बाद अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 4 व 5 के नाम आई । पैतृक सम्पत्ति में रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2 व 3 का भी हक बनता है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के पक्ष में डिक्री पारित की जो सही है । अतः अपील खारिज की जाये ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.04.2017 में पत्रावली साक्ष्य जिरह हेतु दिनांक 03.05.2017 को नियत थी । आदेशिका में दिनांक 03.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कुण्डीखेड़ा पर दिनांक 02.06.2017 को पेश होने बाबत आदेश किया हुआ है । आदेशिका दिनांक 02.06.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कुण्डीखेड़ा में पेश होने का आदेश है जिसमें वादी नम्बर 1 व 3 उपस्थित हुए व शेष पक्षकारान अनुपस्थित बताये गये एवं दिनांक 02.06.2017 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई । जब पत्रावली साक्ष्य जिरह हेतु नियत थी तो लोक अदालत में पत्रावली को रखा जाना विधि सम्मत नहीं था । लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत होकर राजीनामा पेश करते हैं लेकिन इसमें कई पक्षकार उपस्थित नहीं थे, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया जो लोक अदालत की भावना के अनुरूप नहीं था ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेकार्ड का अवलोकन करके, अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर नये सिरे से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा